

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, F (05962) 231099 Fax : 030397

पत्रांक - 845 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 05/05/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वनकोट से ब्रशखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/38290/2017.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/७५/२०२०/एफ०सी०/१७८ दिनांक ०५.०५.२०२२।

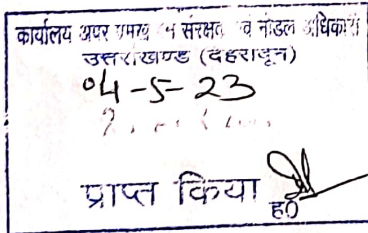
महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 919/12-1 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।



SEP 2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 919 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 29, अगस्त, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बनकोट से ब्रशखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK/Road/38290/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/०६/७५/२०२०/एफ०सी०/१७८ दिनांक ०५.०५.२०२२ व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक ६१/ब्रिडकुल/पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक २८.०६.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है-

01	बिन्दु	निराकरण
1	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सी०ए० स्कीम ३३१ पौध प्रति हेक्टेयर की दर से प्रेषित की गयी है, जो कि गाईडलाईन के अनुसार कम से कम १००० पौध प्रति हे० रोपण हेतु तैयार की जानी चाहिए। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह पुनरीक्षित सी०ए० स्कीम गाईडलाईन पैरा २.४(vi) के अनुसार इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	११०० पौध प्रति हे० की दर से संशोधित सी०ए० स्कीम तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2	राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा २.४ (i) के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के प्रमाण पत्र को सबन्धित वन संरक्षक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित/प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, ब्रिडकुल, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

वृक्षारोपण का प्रावकलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ में बनकोट से ब्रशखोली (घासीधूमलकोट) तक मोटर मार्ग (4.356 हे०) का निर्माण परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्र- 4856 हे०
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल- 9712 हे०
वृक्षारोपण स्थल का नाम:- ग्राम- ग्वासीकोट
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1100

प्रथम चरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एच सीमांकन	1	हे०	147	हे०	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	हे०	887	हे०	532.2
3	लेटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लेटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़ से	0.4	हे०	6608.68	हे०	2643.472
ब	लेटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे०	2202.5	हे०	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे०	11700	हे०	11700
5	कट्टर फरे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	11.14	प्रति हे०	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 90घन मी०	90	घन मी०	478	प्रति घन	43020
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे०	11.14	हे०	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे०	737	हे०	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे०	8.7	हे०	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, सयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खुदान	1	हे०	470	हे०	470
	योग प्रथम चरण					90601.672

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध डुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गड्डे	3.13	गड्डे	3443
5	कट्टर फरे में बीज बुवाई	600	र मी०	1.05		630
6	निराई गुड़ाई व मल्लिग (दो बार) (0.1.15X2)	1100	गड्डे	2.3	गड्डे	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	हे०	0.32	हे०	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	हे०	7235	हे०	7235
9	कट्टर फरे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000	र मी०	11.14	प्रति	11140

10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवानित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरे आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट कय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवानित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कन्टूर फर्ई खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र०मी०	11.14	प्रति र०	11140
4	कुली वालिग मरम्मत कार्य	32	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	7377.6
	योग तृतीय चरण					30344.6

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350

	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	4500	प्रति	18000
	योग चतुर्थ चरण					29827

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग पंचम चरण					11827

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	पनस्पतिक चैक डैम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500

4	कुली वालिग मरम्मत कार्य	30	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	6916.5
	योग षष्ठम चरण					41243.5

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	21- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	22- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	23 वृक्षारोपण से लाभवांचित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	गटर हार्जस्टिंग टेक निर्माण	5	सखिया	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					34327

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	21- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	22- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	23 वृक्षारोपण से लाभवांचित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग अष्टम चरण					22201.75

नवम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852

2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे धास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों का हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग नवम् चरण					22201.75

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे धास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों का हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	योग दशम चरण					11827
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	337185.772 337184.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

337184 रु०

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

9.712 है०

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 9.712 है० X 337184 = 32,74,731.00

या 32,74,731.00

(राजेंद्र सिंह राणा)
उपराजिक

प्रभाग प्रमुख अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

वन अधिकारी
गंगोलीखट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

:: Certificate ::

Certified that 4.856 hectares of forest land is to be transfered to PMGSY, PIU Berinag (Bridcul), Uttarakhand for non-forestry works for construction of construction of extention of Bankot to Burushkholi (Dharidhumlakot) Motor Road (length 5.650 km) under PMGSY, PIU Berinag, at Block Gangolihat in Pithoragarh district. For the above work, under village Gwasikot, Patti Nainoli, Tehsil Ganaigangoli in Pithoragarh district, non-zamindari abolition Khatauni account number-65 category-09(3) 9.712 hectares of barren Kabil Aawad farm no. 4824, is transferred to forest department for compensatory afforestation. As per govt. notification no. 869-F/638 dated 17.10.1893 and Uttar Pradesh govt. notification 1506/14-2-97-800 (II)/1997 dated, 17.03.1997, the land identified for compensatory afforestation has been declared protected forest. There is no need to redeclare the above land as protected forest.

प्रमुख अधिकारी,
वन विभाग, उत्तराखण्ड
जिला पथरगढ़

Divisional Forest Officer
Pithoragarh